रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2010/आश्विन 20, 1932
No. 571] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2010/ASVINA 20, 1932

6807-IR
25/10

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 831(अ).—वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों को जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो उसको महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजा जा सकेगा;

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (खतरनाक माल का वहन) संशोधन नियम, 2010 है।

2. वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 (जिसे इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 12 के, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियमों को अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण की विधिमान्यता की अवधि उस प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की तारीख से चौबीस मास होगी।

(4) आवर्तन प्रशिक्षण की दशा में, प्रशिक्षण की विधिमान्यता की अवधि, पूर्ववर्ती प्रशिक्षण की समाप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी इस शर्त के अधीन रहते हुए कि आवर्तन प्रशिक्षण, पूर्ववर्ती प्रशिक्षण की समाप्ति की तारीख से पूर्व अधिकतम तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया हो।

(5) उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट उन दशाओं से भिन्न में, आवर्तन प्रशिक्षण की विधिमान्यता की अवधि आवर्तन प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की तारीख से प्रारंभ होगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 13 को उसके उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्रारूप को, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेपों व सुझावों को आमंत्रित करने के लिए तीस दिन की अवधि हेतु नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन नागर विमानन अपेक्षएं जारी की जाएंगी :—

परन्तु महानिदेशक, लोकहित में और लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे आक्षेपों व सुझावों को आमंत्रित करने की अपेक्षा में छूट प्रदान कर सकेंगे।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश का अनुपालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिनके लिए ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (1) के अधीन जारी किसी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि लिए कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो जिसे दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 15 में "इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या पालन करने में असफल रहा है," शब्दों के स्थान पर "इन नियमों के उपबंधों या नियम 13 के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश का उल्लंघन किया है या पालन करने में असफल रहा है," शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 11012/09/2010-ए]

प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206(अ), तारीख 5 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 795(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2003, सा.का.नि. 796(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2003, सा.का.नि. 600(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2006, सा.का.नि. 231(अ), तारीख 19 मार्च, 2007 तथा सा.का.नि. 823(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2009 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2010

G.S.R. 831(E).—The followong draft of certain rules further to amend the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Objection or suggestion , if any, may be sent to the Director General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Amendment Rules, 2010.

2. In the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the "said rules"), in rule 12, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(3) The period of validity of the training referred to in sub-rule (2) shall be twenty-four months from the date of successful completion of the training.

(4) In case of the recurrent training, the period of validity of the training shall commence from the date of expiry of the previous training subject to the condition that the recurrent training has been successfully completed within a period of not more than three months prior to the date of expiry of the previous training.

(5) In cases other than those referred to in sub-rule (4), the period of validity of the recurrent training shall commence from the date of successful completion of the recurrent training."

3. Rule 13 of the said rules shall be numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) so numbered, the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(2) The Civil Aviation Requirements under sub-rule (1) shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby :

Provided that the Director-General may, in public interest and by order in writing, dispense with the requirement of inviting such objections and suggestions.

(3) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person or persons to whom such direction is issued.

(4) If any person fails to comply with any direction issued under sub-rule (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two lakh rupees, or with both."

4. In rule 15 of the said rules, for the words "has contravened or failed to comply with the provisions of these rules, he may", the words "has contravened or failed to comply with the provisions of these rules or any direction issued under rule 13, he may" shall be substituted.

[F. No. 11012/09/2010-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 206(E), dated the 5th March, 2003 and were subsequently amended *vide* number G.S.R. 795(E), dated the 6th October, 2003, G.S.R. 796(E), dated the 6th October, 2003, G.S.R. 600(E), dated the 27th September, 2006, G.S.R. 231(E), dated the 19th March, 2007 and G.S.R. 823(E), dated the 12th November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.